संख्या- 01 /2022/30जेएल/22-3-2022-100(42)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2022*

विषय- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सुशील उर्फ मूंछ पुत्र श्री चन्द्रपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या-1165/XIX-बी/2021-24/जे0ए0, दिनांक 31-12-2021 में किए गए अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अंतर्गत जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सुशील उर्फ मूंछ पुत्र श्री चन्द्रपाल को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, अम्बेडकर नगर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2022/30जेएल(1)/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर / अम्बेडकर नगर।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर / अम्बेडकर नगर।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार मुजफ्फरनगर से जिला कारागार, अम्बेडकर नगर में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।